न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 36/2015 अपील

1. श्रीमती विष्णुकांता बनाम पत्नी श्री कैलाश चन्द्र बिड़ला निवासी ईटून्दा हाल जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा	1. जमनी बेवा छोटू कुम्हार निवासी ईटून्दा 2. मोहन पुत्री छोटू कुम्हार निवासी ईटून्दा 3. कमला पुत्री छोटू कुम्हार निवासी ईटून्दा 4. लाली पुत्री छोटू कुम्हार निवासी ईटून्दा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
–अपीलार्थी	– रेस्पोडेण्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्व आदेश तहसीलदार, जहाजपुर बमामले
प्रकरण सं0 21/2010 निर्णय दिनांक 22.05.2015

उपस्थित –
1. श्री दिनेश तिवाड़ी अधिवक्ता – अपीलार्थीगण की ओर से
2. श्री भैरूलाल वैष्णव अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट सं. 2,3,4 की ओर से

निर्णय

दिनांक 28.04.2017

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार जहाजपुर को बमामलें प्रकरण सं. 21/2010 निर्णय दिनांक 22.05.2015 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट्स द्वारा एक अपील नामान्तरकरण सं. 450 दिनांक 16.12.1978 ग्राम ईटुन्दा तहसील जहाजपुर के संबंध में एक अपील प्रस्तुत की जिसे दिनांक 22.05.2015 को तहसीलदार जहाजपुर द्वारा मात्र रेस्पोडेण्ट्स को सुनते हुए अपील स्वीकार करते हुए खातेदारी श्री छोटू की विरासत से रेस्पोडेण्टस के नाम पर भी नामान्तरण खोले जाने का आदेश करते हुए अपील स्वीकार की गई। इस निर्णय में वादग्रस्त आराजियात के 1/2 हिस्से की खातेदार अपीलाण्ट हैं । उसके बावजूद भी अपीलाण्ट को अब तक हुई समस्त कार्यवाही में पक्षकार बनाये बिना ही सम्पूर्ण तथ्यों को छिपाकर निर्णय हासिल किया गया हैं जो अपास्त होने योग्य हैं। अपीलाण्ट ने वादग्रस्त आराजियात के राजस्व रिकार्ड में श्री नाथू पिता छोटू कुम्हार का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के आधार पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कब्जा व आधिपत्य प्राप्त कर लिया । जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में भी

अपीलाण्ट के पक्ष में नामान्तरण खोल दिया गया एवं अपीलाण्ट खातेदार दर्ज होकर काबिज चली आ रही हैं , लेकिन इन सम्पूर्ण तथ्यों को छिपाते हुए हकीकत (वास्तविक स्थिति) न्यायालय के समक्ष नहीं लाई गई। इस प्रकार निर्णय जैर बहस अपीलाण्ट को सुने बिना पारित किया गया हैं जो अपास्त किये जाने योग्य हैं। निर्णय जैर बहस की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 07.07.2015 को हुई और बिना किसी देरी के यह अपील प्रस्तुत की हैं । फिर भी अपील प्रस्तुत करने में जानकारी के अभाव में हुई देरी को माफ करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से पेश हैं । अतः निवेदन हैं कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.05.2015 अपास्त किया जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 20.08.2015 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किया गया ।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट्स द्वारा एक अपील नामान्तरकरण सं. 450 दिनांक 16.12.1978 ग्राम ईटुन्दा तहसील जहाजपुर के संबंध में एक अपील प्रस्तुत की जिसे दिनांक 22.05.2015 को तहसीलदार जहाजपुर द्वारा मात्र रेस्पोडेण्ट्स को सुनते हुए अपील स्वीकार करते हुए खातेदारी श्री छोटू की विरासत से रेस्पोडेण्टस के नाम पर भी नामान्तरण खोले जाने का आदेश करते हुए अपील स्वीकार की गई। इस निर्णय में वादग्रस्त आराजियात के 1/2 हिस्से की खातेदार अपीलाण्ट हैं । उसके बावजूद भी अपीलाण्ट को अब तक हुई समस्त कार्यवाही में पक्षकार बनाये बिना ही सम्पूर्ण तथ्यों को छिपाकर निर्णय हासिल किया गया हैं जो अपास्त होने योग्य हैं। अपीलाण्ट ने वादग्रस्त आराजियात के राजस्व रिकार्ड में श्री नाथू पिता छोटू कुम्हार का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के आधार पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कब्जा व आधिपत्य प्राप्त कर लिया । जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में भी अपीलाण्ट के पक्ष में नामान्तरण खोल दिया गया एवं अपीलाण्ट खातेदार दर्ज होकर काबिज चली आ रही हैं , लेकिन इन सम्पूर्ण तथ्यों को छिपाते हुए न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति नहीं लाई गई। इस प्रकार निर्णय जैर बहस अपीलाण्ट को सुने बिना पारित किया गया हैं जो अपास्त किये जाने योग्य हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.05.2015 अपास्त किया जावे ।

रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में वर्णित श्रीमती जमनी बेवा छोटु कुम्हार निवासी अटुन्दा तहसील जहाजपुर की मृत्यु अदालत के निर्णय से पूर्व हो गई थी । जिसका वर्णन अदालत द्वारा प्रकरण सं. 21/2010 सरकार बनाम जमनी वगैरह निर्णय दिनांक 22.05.2015 में अंकित किया गया हैं । इसके बावजूद अपीलाण्ट द्वारा मृतक जमनी बेवा छोटु कुम्हार के विरूद्व अपील एवं प्रार्थना पत्र धारा 05 पेश किया गया हैं जो प्रारम्भ से अवैध होकर खारिज होने योग्य हैं । अपीलाण्ट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी बाबत कोई स्पष्टीकरण व युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किये गये हैं तथा अपील बैरून मियाद पेश की गई हैं, जिससे विलम्ब क्षमा योग्य

नहीं हैं । मृत व्यक्ति के विरूद्व वाद व अपील पेश नहीं की जा सकती हैं तथा न ही चलने योग्य हैं तथा अपीलार्थीया द्वारा मृतक जमनी के विरूद्व अपील पेश की गई जो प्रारम्भ से अवैध होकर शून्य हैं । अतः निवेदन हैं कि अपील अपीलाण्ट इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे ।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा है। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम ईटून्दा के आ.नं. 1454,1479,1480,1481,1482 कुल किता 5 रकबा 26.12 बीघा भूमि में विष्णुकान्ता पत्नी कैलाशचन्द्र बिडला सा.दे. 1/2 खातेदार जमाबन्दी संवत् 2064–67 में दर्ज रिकार्ड हैं । वादग्रस्त आराजियात के संबंध में पूर्व में प्रकरण सं. 126/09 अपील निर्णय दिनांक 11.03.2010 निर्णित होकर तहसीलदार जहाजपुर को रिमाण्ड किया गया । न्यायालय तहसीलदार ने प्रकरण सं. 21/2010 दर्ज कर दिनांक 22.05.2015 को निर्णय पारित करते हुये ग्राम इटून्दा की आ.नं. 1454, 1479, 1480, 1481, 1482 कुल किता 5 रकबा 26.12 बीघा को दर्ज करने के आदेश दिये , जबकि उपरोक्त आराजियात में 1/2 हिस्से की अपीलाण्ट विष्णुकान्ता पत्नी कैलाशचन्द्र बिडला निवासी ईटून्दा खातेदार दर्ज रिकार्ड थी। तहसीलदार जहाजपुर ने अपीलाण्ट को सुने बिना ही प्रकरण सं. 21/2010 दिनांक 22.05.2015 को निर्णय पारित कर दिया, जबकि अपीलाण्ट के खातेदार होने से सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। तहसीलदार जहाजपुर का उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से प्रकरण के निर्णय को अपास्त करते रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त हैं । अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपील स्वीकार की जाती है। न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण सं. 21/2010 निर्णय दिनांक 22.05.2015 को अपास्त किया जाता हैं । प्रकरण को न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित किया जावे । निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे ।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/04/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा